

कार्यालय राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()/कैम्पा/अप्रमुवस/लेखा/ब.आ./2022-23/

4212

दिनांक 13/06/2022

बजट आवंटन आदेश- 20

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-46 : Construction, up-gradation and maintenance of inspection paths, forest roads in forest area, watch towers, check posts and timber depots for protection of forest and wildlife : Watch Towers, Check Posts, 47 : Infrastructure development and construction of Forest Chowkies, Buildings for Forest protection and Management (a) Forest Guard Chowkies (b) Office-cum-Residence, 48 : Construction of Toilets/Bathrooms for facilitate to frontline staff (specially for women) in the field में वर्णित संलग्न सूची अनुसार आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 2406-04-103-04-01-12
- 2406- Forest & wildlife
- 04- Afforestation and Ecology Development
- 103- State Compensatory Afforestation (SCA)
- (04)- Net Present Value of Forest Land
- (01)- Compensatory Afforestation
- 12 - Grant in Aid (Other than Salary)

APO Item No. 46 : Construction, up-gradation and maintenance of inspection paths, forest roads in forest area, watch towers, check posts and timber depots for protection of forest and wildlife : Watch Towers, Check Posts.

APO Item No. 47 : Infrastructure development and construction of Forest Chowkies, Buildings for Forest protection and Management (a) Forest Guard Chowkies (b) Office-cum-Residence.

APO Item No. 48 : Construction of Toilets/Bathrooms for facilitate to frontline staff (specially for women) in the field. (Amount in lakhs)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	46 : Watch Towers, Check Posts.				47 : (a) Forest Guard Chowkies (b) Office-Cum-Residence				48 : Toilets/ Bathrooms for facility		Total Budget allotment
		Watch Towers (nos.)	Amount to be allotted @ 5.000	Check Posts (nos.)	Amount to be allotted @ 5.000	(a) Forest Guard Chowkies (nos.)	Amount to be allotted @ 8.500	(b) Office-cum-Residence (nos.)	Amount to be allotted @ 11.750	Toilets/ Bathrooms (nos.)	Amount to be allotted @ 0.40000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उ.व.सं. अजमेर					2	17.00000			4	1.60000	1.60000
2	उ.व.सं. नागौर	1	5.00000			1	8.50000	1	11.75000			22.00000
3	उ.व.सं. टंक					2	17.00000	1	11.75000			28.75000
4	उ.व.सं. भरतपुर					1	8.50000					8.50000
5	उ.व.सं. धौलपुर					1	8.50000					8.50000
6	उ.व.सं. बीकानेर					1	8.50000	1	11.75000			20.25000
7	उ.व.सं. इ.मान. पारि. स्टेशन-11 बीकानेर					1	8.50000	1	11.75000			20.25000

- 5 आर्बिट्रल वजट का व्यय कैम्पा/अप्रपुर्स/लेखा/ब.आ./2022-23/ उपरिलिखित हो एवं आर्बिट्रल वजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 6 ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आर्बिट्रल वजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 7 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी शर्षि का उपयोग समय नहीं हो तो शर्षि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 8 आर्बिट्रल वजट की शर्षि का आहरण केवल तभी किया जावे जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 9 आर्बिट्रल शर्षि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आर्बिट्रल की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 10 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति, नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड्स Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएसी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संश्लिषित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 11 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 12 संवर्धित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन भण्डारों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन भण्डारों के लेख संकलित कर मासिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अर्थात् स्वतंत्रता को भुजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत करवाए जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संश्लेषण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 13 वजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 14 कैम्पा से आर्बिट्रल वजट उसी कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हैं, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सके।
- 15 कैम्पा नद में सान्नी क्रय की कार्यवाही एवं, लोक उपापन में पारदर्शिता अभिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्वॉयस स्टोर पंजिका में किया जावे एवं विभाग की प्रचलित प्रकृति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 16 वन रक्षक चौकी एवं ऑफिस कम सेजिडेंस निर्माण के संबंध में निर्देशों की पालना अनुरूप ही निर्माण कराया जावे।
- 17 कैम्पा नद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-प्रिनट पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

क्रमांक: एक.14()कैम्पा/अप्रपुर्स/लेखा/ब.आ./2022-23/ **4213-269**
प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक - अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/वन्य जीव-सर्वाई मण्डल/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर को भेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं शर्षि जिस कार्य हेतु आर्बिट्रल की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वीक्षित रिकॉर्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करावे।
- 4 उप वन संरक्षक - अजमेर/नागौर/टोंक/भरतपुर/बीकानेर/इ.गान.परि. स्टेज-1 धनसाह/वृक्ष/इ.गान.परि. स्टेज-1 धनसाह/श्री गंगानगर/बाड़मेर/इ.गान.परि. स्टेज-1 जैसलमेर/जालौर/सिरोही/दीपा/अलवर/जयपुर उत्तर/भुवनेश्वर/वर्णा/बूंदी/झालावाड़/उदयपुर उत्तर/बांसवाड़ा/चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़/झुजपुर/उदयपुर/अनसंभान, जयपुर/वन्य जीव भरतपुर/वन्य जीव पर्वत सिरोही/वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव जैसलमेर/वन्य जीव विडिशाधर, जयपुर/वन्य जीव कोटा/एम.एम.पी. कोटा/वन्य जीव उदयपुर/वन्य जीव चित्तौड़गढ़/वन्य जीव राजसमंद।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय झज्जा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय झज्जा।
- 7 सूचना सहायक कार्यालय झज्जा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु/संश्लिषित पत्रावली।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

राजस्थान, जयपुर।

दिनांक: **13/06/2022**

(शिखा मेहता)

(अधिकारी जोशी)

उप वन संरक्षक (कैम्पा)

राजस्थान, जयपुर।